न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4152 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-09-2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील गोविन्दपुरा वृत जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/2016-17

मानसरोवर रियल स्टेट,
द्वारा संजय कश्यप पुत्र श्री राजेन्द्र कश्यप
निवासी मकान नं. 17/9 रिसालदार कालोनी
जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

कैलाश लोधी पुत्र श्री बलराम लोधी
निवासी ग्राम नवीबाग तहसील हुजूर
जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री कमल वर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री शिवराज सिंह दांगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील गोविन्दपुरा वृत जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम नवीबाग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 32/2/1/1 रकबा 1.214 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 32/2/1 रकबा 0.060 हेक्टेयर कुल रकबा 1.274 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 129 के तहत ओवदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक दर्ज 1/अ-

12/16-17 दर्ज कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 29-7-2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह नहीं देखा गया है कि पटवारी के द्वारा किया गया सीमांकन पूर्व में हुये सीमांकन व राजस्व फर्द बटान के विपरीत किया गया है जिस कारण से सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि किये गये सीमांकन में प्रक्रियात्मक त्रुटि की है क्योंकि सूचना पत्र की तामीली भी नियमानुसार नहीं कराई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ ने उक्त आदेश में त्रुटि की है कि अनावेदक के द्वारा बटान प्रकरण में बटान से सहमति प्रदान करते हुये निगरानीकर्ता के पक्ष में 29-5-2013 को कराये गये सीमांकन से संतुष्ट होने के उपरांत अत्यधिक समयावधि व्यतीत होने के उपरांत पुन: सीमांकन करवाकर निगरानीकर्ता को अतिक्रामक बताकर उसके विरूद्ध संहिता धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत करना अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन में विधिवत् उभयपक्ष को नोटिस तामील हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शा, फील्डबुक व पंचनामा तैयार कर टी.एस.एम. मशीन से विधिवत सीमांकन किया गया है । अत: नायब तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन वैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील गोविन्दपुरा वृत जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-9-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर